अनुदान संख्या 91 - इस्पात मंत्रालय
GRANT No. 91–MINISTRY OF STEEL

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	91,65,00			
			115,33,00	114,08,90	–1,24,10
पूरक	Supplementary	23,68,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				77,70
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	88,89,00			
			89,89,00	89,89,00	. .
पूरक	Supplementary	1,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	804.00			
पू.	S.	46.00	788.65	744.39	–44.26
पु.	R.	–61.35			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	8361.00			
पू.	S.	2322.00	10666.65	10664.51	–2.14
पु.	R.	–16.35			

(I) दिसम्बर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - इस्पात मंत्रालय"- 804.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 46.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 850.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण 105.61 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" - "लोहा तथा इस्पात उद्योग-विनिर्माण - भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटी के लिए गारंटी शुल्क से छूट प्रदान करने के लिए भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड को आर्थिक सहायता"- 24.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 30.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 54.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 30.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) वर्ष के दौरान कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड के 30.00 करोड़ रु. का कर्ज प्राप्त करने में अक्षम रहने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष "2852" - "लोहा तथा इस्पात उद्योग-विनिर्माण - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को लागू करने के लिए बैंकों से लिए गए कर्जों पर ब्याज की अदायगी करने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को आर्थिक सहायता"- 930.00 लाख रु. की बचत (1860.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंपनी की स्थिति बेहतर होने की वजह से आर्थिक सहायता में कमी किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 74.17 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1014.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2852" - "लोहा तथा इस्पात उद्योग-विनिर्माण" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में 2368.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) Supplementary grants obtained in December, 2004 and March, 2005 remained wholly unutilised under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat – Ministry of Steel" – the original provision of Rs.804.00 lakhs was augmented to Rs.850.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.46.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.105.61 lakhs (including supplementary grant) due to non-filling up of vacant posts.

(B) Major Head "2852" – "Iron and Steel Industries - Manufacture - Subsidy to Bharat Refractories Limited for waiver of guarantee fee for the guarantee given by the Government of India"- the original provision of Rs.24.00 lakhs was augmented to Rs.54.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.30.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.30.00 lakhs (including supplementary grant) due to inability of Bharat Refractories Limited in raising the loan of Rs.30.00 crores during the year to meet the working capital requirement.

(II) Under Major Head "2852" – "Iron and Steel Industries - Manufacture – Subsidy to Steel Authority of India Limited for payment of Interest on loans raised from banks for implementation of Voluntary Retirement Scheme" - saving of Rs.930.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1860.00 lakhs) was due to reduction in subsidy owing to improved position of the company.

(III) Under one head saving of Rs.74.17 lakhs occurred constituting 20 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (Rs.1014.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.2368.00 lakhs in December, 2004 and March, 2005 under Major Head "2852" – "Iron and Steel Industries – Manufacture" – under the following heads:-

(का) ''स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को लागू करने के लिए बैंकों से लिए गए कर्जों पर ब्याज की अदायगी के लिए हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को आर्थिक सहायता'' - 658.00 लाख रु.।

(A) "Subsidy to Hindustan Steelworks Construction Limited for payment of interest on loans raised from banks for implementation of Voluntary Retirement Scheme" - Rs.658.00 lakhs.

(खा) ''स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को लागू करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए कर्जों पर ब्याज की अदायगी के लिए मेकान को आर्थिक सहायता'' - 356.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 355.00 लाख रु. था।

(B) "Subsidy to MECON Limited for payment of Interest on loans raised from Commercial banks for implementation of Voluntary Retirement Scheme" - Rs.356.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.355.00 lakhs.